

विषय सूची			
क्रम सं.	विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ
1.	प्राक्कथन		v
2.	कार्यकारी सारांश		vii
अध्याय-1: विहंगावलोकन			
3.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की रूपरेखा	1.1	1
4.	रा.रा.क्षे. दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1.1	2
5.	राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार एवं दृष्टिकोण	1.2	3
6.	प्रतिवेदन संरचना	1.3	4
7.	सरकारी लेखा संरचना तथा बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	1.4	5
8.	वित्त का आशुचित्र	1.4.1	7
9.	सरकार की संपत्ति और देयताओं का आशुचित्र	1.4.2	8
10.	अधिशेष/घाटे में प्रवृत्तियां	1.5	8
अध्याय-2: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त			
11.	2018-19 की तुलना में वि.व. 2019-20 में प्रमुख राजकोषीय संचयनों में मुख्य बदलाव	2.1	11
12.	निधियों के स्रोत तथा उपयोग	2.2	11
13.	रा.रा.क्षे. दिल्ली के संसाधन	2.3	12
14.	रा.रा.क्षे. दिल्ली की प्राप्तियाँ	2.3.1	13
15.	रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजस्व प्राप्तियाँ	2.3.2	13
16.	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां तथा वृद्धि	2.3.2.1	14
17.	रा.रा.क्षे. दिल्ली के स्वयं के संसाधन	2.3.2.2	16
18.	भारत सरकार से सहायता अनुदान	2.3.2.3	23
19.	पूँजीगत प्राप्तियाँ	2.3.3	24
20.	संसाधनों के उपयोग	2.4	25
21.	व्यय की वृद्धि तथा संघटन	2.4.1	25
22.	राजस्व व्यय	2.4.2	27
23.	राजस्व व्यय में मुख्य बदलाव	2.4.2.1	29
24.	प्रतिबद्ध व्यय	2.4.2.2	29
25.	राष्ट्रीय पेंशन योजना	2.4.2.3	30
26.	सब्सिडी	2.4.2.4	31
27.	स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा वित्तीय सहायता	2.4.2.5	31
28.	पूँजीगत व्यय	2.4.3	33
29.	पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन	2.4.3.1	33

30.	निवेश तथा प्रतिफल	2.4.3.2	34
31.	सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता	2.4.4	35
32.	ऋण प्रबंधन	2.5	36
33.	ऋण रूपरेखा: घटक	2.5.1	36
34.	ऋण धारणीयता	2.6	37
35.	निष्कर्ष	2.7	38
अध्याय-3: बजटीय प्रबंधन			
36.	बजटीय प्रक्रिया	3.1	39
37.	वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों एवं बचतों का संक्षिप्त विवरण	3.1.1	40
38.	प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण	3.1.2	40
39.	विनियोग लेखे	3.2	41
40.	बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता पर टिप्पणियाँ	3.3	41
41.	अनावश्यक या आधिक्य अनुपूरक अनुदान	3.3.1	41
42.	अनावश्यक या आधिक्य पुनर्विनियोग	3.3.2	42
43.	अव्ययित राशि एवं समर्पित विनियोग और/या बड़ी बचत/समर्पण	3.3.3	44
44.	बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ	3.4	47
45.	एकमुश्त बजटीय प्रावधान	3.4.1	47
46.	बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ	3.5	48
47.	अपेक्षा तथा वास्तविक के बीच बजट प्रक्षेपण एवं अंतर	3.5.1	48
48.	बजट में प्रमुख नीतिगत खरीद एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण	3.5.2	50
49.	पुनर्विनियोग के संबंध में वित्तीय शक्तियों का हनन	3.5.3	50
50.	व्यय का द्रुतप्रवाह	3.5.4	51
51.	अनुदान सं. 7 - 'चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य' का परिणाम	3.5.5	54
52.	अनुशासण	3.6	55
अध्याय-4: लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्यप्रणाली			
53.	प्राप्तियों को सरकारी खातों में स्थानांतरित करने में देरी के कारण निधि रा.रा.क्षे. दिल्ली की समेकित निधि से बाहर रह गई	4.1	57
54.	निधियां सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को हस्तांतरित	4.2	58
55.	उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	4.3	58
56.	अनुदानग्राही संस्था को 'अन्य' के रूप में दर्ज करना	4.3.1	61
57.	सार आकस्मिक बिल	4.4	61
58.	व्यक्तिगत जमा खाते	4.5	65
59.	लघु शीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण उपयोग	4.6	67
60.	नकद शेषों का मिलान	4.7	69

61.	लेखा मानकों का अनुपालन	4.8	69
62.	स्वायत्त निकायों के लेखा/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति	4.9	70
63.	अनुशंसाएँ	4.10	71
अध्याय-5: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम			
64.	सरकारी कंपनियों की परिभाषा	5.1	73
65.	लेखापरीक्षा अधिदेश	5.2	73
66.	रा.सा.क्षे.उ. तथा राज्य के स.रा.घ.उ. में उनका योगदान	5.3	73
67.	रा.सा.क्षे.उ. में निवेश तथा बजटीय सहायता	5.4	75
68.	रा.सा.क्षे.उ. से रिटर्न	5.5	76
69.	ऋण सेवाएँ	5.6	77
70.	रा.सा.क्षे.उ. का निष्पादन	5.7	77
71.	रा.सा.क्षे.उ. में हानियों का होना	5.8	82
72.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा	5.9	83
73.	नि.म.ले.प. द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	5.10	84
74.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण	5.11	84
75.	नि.म.ले.प. की निरीक्षण-लेखों की लेखापरीक्षा तथा पूरक लेखापरीक्षा	5.12	86
76.	नि.म.ले.प. की निरीक्षण भूमिका का परिणाम	5.13	87
77.	प्रबंधन पत्र	5.14	93
78.	निष्कर्ष	5.15	94
79.	अनुशंसाएँ	5.16	95

परिशिष्ट		
परिशिष्ट 1.1	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त पर समय क्रमांक आंकड़े	97
परिशिष्ट 3.1	योजनाओं का विवरण जिसके लिए प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किए गए थे लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया था	99
परिशिष्ट 3.2	उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किया गया था लेकिन संशोधित परिव्यय में वापस ले लिया गया था	101
परिशिष्ट 3.3	अनुपूरक अनुदानों से पुनर्विनियोजन	103
	पारिभाषिक शब्दावली	105

